

सं० 541/14 द्वारा 353/504/506 IR व 3010 se/ST Act किया

19/22

मूल द्वितीय तृतीय प्रतिलिपि

पुलिस प्रपत्र संख्या 341

न्यायालय वादी/कार्यालय के लिए

बुक सं०—

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

पृष्ठ संख्या—

दण्ड लिथि-संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना—जानसठ

सब-डिस्ट्रिक्ट—जानसठ

जिला—मुजफ्फरपुर

संख्या—187/14

घटना का दिनांक का समय—21.10.14 साय-4:40 बजे

नाम व समय, जबकि रिपोर्ट की गई घटनास्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन

27.10.14

तहसील जानसठ

डाकबंद

दिशा—पूरब

दूरी—1 KM



प्रथम सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या अंगूठा का चिन्ह लेना चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले का नाम व निवासी स्थान	सूचना देने वाले का पता	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई तथा सूचना के दर्ज करने में देरी का कारण	मुकदमे का परिणाम
श्री रामेश कुमार तहसील जानसठ, मुजफ्फरपुर जिला	श्री रामेश कुमार तहसील जानसठ, मुजफ्फरपुर जिला	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई तथा सूचना के दर्ज करने में देरी का कारण	5
① अथ भगवान खेजपाल तहसील जानसठ, मुजफ्फरपुर जिला	अथ भगवान खेजपाल तहसील जानसठ, मुजफ्फरपुर जिला	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई तथा सूचना के दर्ज करने में देरी का कारण	
② श्रीविक्रम सेवानिवृत्त खेजपाल तहसील जानसठ, मुजफ्फरपुर जिला	श्रीविक्रम सेवानिवृत्त खेजपाल तहसील जानसठ, मुजफ्फरपुर जिला	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई तथा सूचना के दर्ज करने में देरी का कारण	

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायगी।

To, c.c.

टिप्पणी— सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाया चाहिये।

फॉर्म नं० 10 (आर०आर०) 016 पुलिस-18-1-12-पुलिस प्रपत्र सं० 341-5,000 परसों (कम्प्यूटर/ऑफिससं०)

CO/17/10/14

हस्ताक्षर पद

(चरणसिंह) प्रभारी निरीक्षक मुजफ्फरपुर

नकल हंसीर हिंदी कथी पाईप शुदा.

सेवा में प्रभारी निरीक्षक जमसठ द्वारा उचित माध्यम मध्ये
 उद्योग कराना है कि दिनांक 21-10-2014 को सपना लामा
 04:40 बजे जयभगवान लेखपाल द्वारा मोबाइल नम्बर
 9412582638 से धमकी दी गई है कि साले चमार तू
 मेरी जमीन सीलिंग से निकालवायेगा मेरी जान करेगा।
 मैं तुझे व तेरे परिवार को खत्म करवा दूंगा। तू मुझे
 जानता नहीं है साले ब्रह्मजदेकुते। जयभगवान लेखपाल

लेखपाल संघ का अध्यापन होने के कारण सरकारी
कार्य में बाधा चल रहे और अंतर्कित कर रहे हैं।
अधिकांश में यदि मेरे व मेरे परिवार के साथ कोई
अपिष्ट घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार
जयभगवान लेखपाल व शिव कुमार सेवानिवृत्त लेख-
पाल होंगे। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के विरुद्ध
वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें। ३२ अग्रेजी
27.10.14 राकेश कुमार लखनौवाला जागसुठ। राकेश
कुमार पुत्र श्री भरतूराम सिन्हा जी मकान नं० 183 नासिरपुर
थाना सिदानीगैट गाजियाबाद मो० 94944 417013
9690385303 आग्रिम प्रार्थना - जिलाधिकारी महोदय
मुजफ्फरगढ़ की सेवा में सादर अवलोकनाय व आभार
कार्यवाही हेतु प्रार्थना।

नोट : 1. ¹ MMB नरेंद्र सिंह प्रमाणित करता है कि लखार
लक्ष्मण शुक्ला की नकल निकाला जा रहा है व शब्द व शब्द
अंकित करी गई हैं।

राज्य प्रतिलिपि
 13-11-14
 मुख्य प्रतिनिधिक
 क्षेत्रीय प्रतिनिधिक विभाग
 कलकत्ता कोर्ट, मुद्रणकाल

72512
27.10.14 HM

13 Copy Comparison 502
350